<u>न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कोर्ट संख्या-3, गाजियाबाद।</u>

उपस्थित-शरजील खॉ, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा। आई डी नं० यू. पी. 2435

फौ. वाद संख्या 24425/2022

अपराध संख्या 249/2022

सरकार

बनाम

1- सर्वेश पुत्र समय सिह

2- रमेश उर्फ कालू पुत्र समय सिह

3- दीपक पुत्र सर्वेश

4- मोनू पुत्र सौदान

धारा 452,504,506 भा०दं०सं०

थाना-कविनगर, गाजियाबाद।

<u>निर्णय</u>

अभियुक्तगण सर्वेश, रमेश उर्फ कालू, दीपक व मोनू के विरूद्ध पुलिस थाना कविनगर, गाजियाबाद द्वारा अपराध संख्या 249/2022 में आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 452,504,506 भा०दं०सं० प्रेषित कर विचारण की याचना की गयी है।

संक्षेप में अभियोजन पक्ष का कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा मोनू चौधरी द्वारा थाना कविनगर गाजियाबाद पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि प्रार्थी के उपर आज दिनाक 04.02.2017 को मोनू पुत्र शौदान गावं रावली थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद द्वारा जान से मारने की नीयत से हमला किया गया था जिसका अपराध संख्या 28/17 धारा 307,504,506 भा०दं०सं० थाना निवाडी में दर्ज है तथा उसमे हमलावर जेल गये थे तथा वर्तमान मे उक्त मुकदमा न्यायालय मे विचाराधीन है तथा गवाही होनी है। दिनाक 28.01.2022 समय दोपहर 12.00 बजे समय सिंह व दीपक, सर्वेश निवासीगण विश्वकर्मा कालोनी मोदीनगर गाजियाबाद तथा मोनू सौदान अचानक जबरदस्ती घर में घुस आये तथा गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देते हुये कहा कि अपना केस वापिस लो नही तो पिछली बार तो बच गया था अबकी बार नहीं छोडेगें और शोर शराबा होने पर आसपास के लोग तथा प्रार्थी की मम्मी भी भी कमरे से निकल आयी तथा भीड़ इक्टठा होने पर दोबारा आने की धमकी देकर गये। ये लोग मेरी ससुराल पक्ष के लोग है। प्रार्थी की मा को इन लोगों से जवीन भय का खतरा बना हुआ है।

उपरोक्त प्रा० पत्र के आधार पर थाना कविनगर गाजियाबाद पर अपराध संख्या 249/22 अन्तर्गत धारा 452,504,506 भा०दं०सं० अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत हुयी।

दौरान विवेचना विवेचक द्वारा साक्षीगण के बयान अन्तर्गत धारा 161 दं. प्र. सं. लेखबद्ध किये गये तथा घटनास्थल का नक्शा नजरी तैयार कर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 452,504,506 भा०दं०सं० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

आरोप पत्र प्राप्ति के पश्चात अभियुक्तगण को आहूत किया गया तथा अभियुक्तगण के उपस्थित आने पर उनके विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 452,504,506 भा०द०सं० विरचित किया गया। आरोपों से अभियुक्तगण ने इंकार कर विचारण की याचना की।

अभियोजन की ओर से पी० डब्लू-1 मोनू चौधरी, पी० डब्लू-2 दीपक व पी० डब्लू-3 श्रीमती अंजू को परीक्षित कराया गया। अभियोजन की ओर से किसी अन्य साक्षी को पेश नही किया गया। अभियुक्तगण की ओर से अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता को स्वीकार कर लिये जाने के कारण अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं. प्र. सं. अंकित किये गये जिसमें अभियुक्तगण द्वारा घटना से इंकार करते हुए स्वयं को निर्दोष होना अभिकथित किया तथा बचाव में कोई भी साक्ष्य देने से इंकार किया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अभियोजन अधिकारी के तर्क सुने एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पी० डब्लू-1 मोनू चौधरी ने मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि अभियुक्तगण सर्वेश, राकेश उर्फ कालू, दीपक व मोनू को जानता हूॅ। इनसे मेरा वाद विवाद हुआ था। मेरी ससुराल पक्ष के लोग हैं। दिनांक 04 .02 2017 को सर्वेश, दीपक, मोनू व रमेश कालू ने जान से मारने की नीयत से मुझ पर हमला नहीं किया था। उनके विरुद्ध मैंने थाना निवाड़ी में धारा 307, 504, 506 आदि अपराध संख्या 28/2017 दर्ज कराया था। इस मुकदमे में रमेश उर्फ कालू आदि नहीं थे। यह मुकदमा समझौते के आधार पर समाप्त हुआ था। दिनांक 28.01.2022 को दोपहर 12:00 बजे सर्वेश व राकेश उर्फ कालू, दीपक व मोनू जबरदस्ती मेरे घर में नहीं घुसे थे न हीं गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी थी। यह नही कहा था कि अपना केस वापस ले लो नहीं तो अबकी बार नहीं छोड़ेंगे। लोगों के बहकावे में आकर मैंने घटना के संबंध में तहरीर थाना कविनगर में दिया था जो पत्रावली में संलग्न है। साक्षी ने अपने हस्ताक्षर शिनाख्त किये जिस पर प्रदर्श क 1 डाला गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से की गई जिरह में साक्षी को धारा 161 सी आर पी सी का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने बयानो से इनकार किया कहा दरोगा जी ने कैसे लिख लिया मुझे नहीं पता। यह कहना गलत है कि दिनांक 28.01.2022 को दोपहर 12:00 बजे अभियुक्तगण मेरे घर में आए और मुझे जान से मारने की धमकी दी और मुकदमा वापस लेने की धमकी दी। यह कहना सही है कि मुल्जिमान से किसी डर दबाव में मैनें समझौता कर लिया है। अब मुकदमा आगे चलना नहीं चाहता हूॅ। यह कहना गलत है कि समझौते हो जाने के कारण झूठी गवाही दे रहा हूॅ।

पी०डब्लू 2 दीपक चौधरी ने मुख्य परीक्षा में यह कहा है की घटना का दिन में तारीख मुझे याद नहीं है। मेरे सामने सर्वेश, रमेश उर्फ कालू, दीपक और मोनू ने मेरे घर में घुसकर मेरे भाई मोनू चौधरी के साथ मारपीट नहीं की थी और न हीं भददी भददी गालियां दी थी न हीं जान से मारने की धमकी दी थी। दरोगा जी ने मेरा बयान नहीं लिया था।

अभियोजन पक्ष की ओर से की गई जिरह में साक्षी को धारा 161 सी आर पी सी का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवान कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था कैसे लिख लिया वजह नहीं बता सकता। यह कहना सही है की अभियुक्तगण से हमारी सुलह हो गई है लेकिन यह कहना गलत है कि सुलह के कारण मैं आज न्यायालय में सही बात न बता रहा हूँ।

पी० डब्लू 3 अंजू चौधरी ने मुख्य परीक्षा में यह कहा कि मेरे बेटे मोनू चौधरी के ऊपर दिनांक 04.02.2017 को मूोनू पुत्र श्यौदान व सर्वेश जान से मारने की नीयत से हमला किया था जिसके संबंध में निवाड़ी में मुकदमा दर्ज है। दिनांक 28.01.2022 दोपहर 12:00 बजे सर्वेशा, रमेश उर्फ कालू, दीपक तथा मोनू मेरे घर में जबरदस्ती नहीं घुसे न ही गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दिये न ही यह कहे कि अपना केस वापस ले लो नहीं तो अबकी बार नहीं छोड़ेंगे। यह सही है कि अभियुक्त उपरोक्त मेरे बेटे के ससुराल पक्ष के लोग हैं। दरोगा जी को मैंने बयान नहीं दिया था।

अभियोजन पक्ष की ओर से की गयी जिरह में साक्षी को धारा 161 सी आर पी सी का बयान पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने बयानो से इनकार किया कहा कि दरोगा जी ने बयान कैसे लिख लिया मैं वजह नहीं बता सकती। यह कहना गलत है कि दिनाक 28-01-2022 को सर्वेश, रमेश उर्फ कालू, दीपक, मोनू मेरे घर में जबरदस्ती घुस आए और गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देने लगे। यह सही है कि मैनें अभियुक्तगण से मैनें किसी डर दबाव के अपनी मर्जी से समझौता कर लिया है परंतु यह कहना गलत है कि सुलह समझौता हो जाने के कारण सही बात न बता रही हूँ।

यद्यपि अभियुक्तगण की ओर से अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता को स्वीकार किया गया है किन्तु इसका कोई लाभ अभियोजन पक्ष को नही मिलेगा क्योंकि परीक्षित साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया गया है तथा अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किये जाने से इंकार किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण पर उपरोक्त अभियोग की पुष्टि युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे नहीं होती है। **अतः अभियुक्तगण साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ पाते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य है।**

आदेश

अभियुक्तगण सर्वेश, रमेश उर्फ कालू, दीपक व मोनू को अपराध संख्या 249/2022 अन्तर्गत धारा 452,504,506 भा०दं०सं० थाना कविनगर, गाजियाबाद के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके जमानतनामें एवं व्यक्तिगत बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

प्रत्येक अभियुक्त धारा 437 ए दं. प्र. सं. के अनुपालन में इस निर्णय के विरूद्ध सम्भावित किसी अपील अथवा याचिका में नोटिस निर्गत होने की दशा में सक्षम माननीय अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होने के लिए छः माह की अवधि के लिए अंकन 20,000/- रूपये का व्यक्तिगत बन्ध-पत्र तथा समान राशि की दो दो जमानतें दाखिल करें। उक्त जमानतें 6 माह के लिये प्रभावी होगी।

(शरजील खॉ)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
दिनॉक-25-02-2026 कोर्ट संख्या-3, गाजियाबाद।
जे ओ कोड यू पी 2435

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनॉकित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शरजील खॉ)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
दिनॉक-25-02-2026 कोर्ट संख्या-3, गाजियाबाद।
जे ओ कोड यू पी 2435